तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व अहकाम हुक्म की तारीख जारी हुए
23/6/20	पक्षकार उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तला होकर पत्रावली दिनांक 26/8/20 को पेश हो। रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	
19/8/20	न्यायालय राज के पत्रांक/रीडर/20/520 दिनांक 04-8-2020 के परिपत्र से प्रारंभिक केस-लिस्ट अनुसार दिनांक 11.8.2020 को बाद-लिस्ट लिस्ट में दर्ज किये गये प्रकरण की सुनवाई में पक्षकारों कथन लेना है। वकुलाय आ०। वास्ते प्रार्थना पत्र धारा 212 R.T.Act वकुलाय मुद्दी अधि स्थापन की गई। वादी के दोनान अधिवक्ता प्रार्थी गण ने मौजा सोजत पक्ष विपक्ष से दिपत खाता नम्बर 1293, 1294, 1285, 1287 व 1288 कुल किता 5 कुल 52.00 हैक्टर किस्म का.ब.गो.मु. मकान व बेरा की भूमि का पिछले विभाजन राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक नहीं होने से अधिशासित भूमि के विशिष्ट भू-भाग में निर्माण किया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 28.10.2015 को अगली तारीख तक स्थगित की गई है के बाद निर्णय तक पूर्वत किये जाने की अभ्युक्ति की है। अधिवक्ता प्रार्थी ने जवाब दावा में उष्ट प्रकरण को खारिज किये जाने की अभ्युक्ति की है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र U/S 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मय शपथ पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, अप्रार्थीगण एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दावा वकुलाय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत दस्तावेजात, यथा राजस्व रिकॉर्ड एवं शिजरा आदि का मूल वाद प्रश्न में प्रस्तुत वाद, जवाब दावा कथन की गई तथ्यात, प्रस्तुत साक्ष्य सबूत के शपथ पत्र उपरान्त एवं दस्तावेजात के आधार पर विस्तृत विवेचन / विश्लेषण पश्चात, उभय पक्षों के हक अधिकारों का भी निश्चय किया जा सकेगा। तथापि	उप खण्ड अधिकारी सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय राजा दास वादित अस्थायि निषेधाज्ञा दिनांक 23.10.15 अनुसार अथवा अन्तर्गत मुताबिक दावा भूमि का विधिक विभाजन नहीं होने से अधिवादित दावा भूमि के लिये विक्रिय आगे वाद निर्णय करने से उभय पक्षों को आर्थिक हानि पहुंचना होता गया है, जिसे बाद निर्णय तक पृथक किया जाना उचित समझते है। आदेश:- अतः न्यायालय राजा दास वादित अस्थायि निषेधाज्ञा दिनांक 23/10/2015 को बाद निर्णय तक पृथक किया जाता है। पत्रावली केस मुताबिक दोहरे नम्बर से कम हो। बाद तकमील वाद्य मय बाद के लग्न नस्थी हो। उप खण्ड अधिकारी मोजत (जिला-बाली) राज	

Scanned with CamScanner